बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्याः 11 / नियमा–01–02 / 2020..... पटना, दिनांक .....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **प्रस्तावना :–**

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विभागीय संकल्प 1021 दिनांक–05.07.2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उपर्युक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया। उक्त विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किया जाना है। इससे राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ–साथ CBSE/ICSE/BSEB से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अतएव प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति, उनके सेवाशर्त आदि के गठन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

2. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(क) यह नियमावली "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021" कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –

(i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(ii) **"प्रशासी विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;

(iii) **"उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय ;

(iv) **"उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के तहत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित विद्यालय एवं राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 2948 नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय ;

(v) **"माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय/CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय, जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है ;

(vi) **"उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय, जिसमें कक्षा–12 तक की पढ़ाई होती है ;

(vii) **"जिला परिषद्"** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;

(viii) **"नगर निकाय"** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था–नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;

(ix) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन प्रमण्डल स्तर का प्रधानाध्यापक का संवर्ग ;

(x) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;

(xi) **"अनुशासनिक प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;

(xii) **"अपीलीय प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ;

(xiii) **"शिक्षक" से अभिप्रेत है –**

(क) इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक ;

(ख) इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक

(xiv) **"प्रधानाध्यापक" से** अभिप्रेत है, **इस** नियमावली के अधीन **उच्च** माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक;

(xv) **"शिक्षकेत्तर कर्मी"** से अभिप्रेत है –
राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(xvi) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, परिनियत (स्टैच्यूटरी) से गठित विश्वविद्यालय
या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(xvii) **"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;

(xviii) **"शिक्षक पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा वर्ग–9 से 10 एवं वर्ग–11 से 12 तक में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा;

(xix) **"शिक्षक प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की डिग्री ;

(xx) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग ;

4. <u>संवर्ग का गठन</u> :–
शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय का संवर्ग होगा। यह संवर्ग प्रमण्डल स्तर का होगा।

5. **प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे।**

6. **प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :–**

(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग/ महिला एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त

आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्था से बी०एड० / बी०ए०एड० / बी०एससी०एड० उत्तीर्ण होना ।

(iv) वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना।

(v) <u>अनुभव</u> :–

(क) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

(ख) सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0 /बी0एस0ई0बी0 से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा।

(ग) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा।

(घ) सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0 /बी0एस0ई0बी0 से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।

(vi) <u>आयु</u> :–

पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयुसीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0 /बी0एस0ई0बी0 से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम आयु 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी।

7. **आरक्षण** :–

(i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

(ii) प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रमण्डल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(iii) प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण–समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(iv) प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से प्रारंभ होगा।

8. **नियुक्ति की प्रक्रिया :–**

(i) शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक –अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है।

(iii) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।

(iv) यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की अवधि दो घण्टा की होगी।

(v) उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

(vi) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

(vii) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

9. **प्रमाण पत्रों की जाँच :–**

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जॉच करा लेंगे।

(ii) सी0बी0एस0ई0 /आई0सी0एस0ई0 /बी0एस0ई0बी0 से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच संबंधित विद्यालय द्वारा उनको बैंक खाते के माध्यम से दिए गए वेतन एवं संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

(iii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. **परिवीक्षा अवधि :–**

(i) सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा।

11. **विभागीय परीक्षा :–**

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से अलग से निर्गत किया जायेगा।

12. **सम्पुष्टि :–**

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

13. **वरीयता सूची** :–

(i) प्रधानाध्यापकों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी।

(ii) प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय की वरीयता सूची प्रमण्डल स्तर पर संधारित की जाएगी।

14. **स्थानान्तरण** :–

(i) प्रधानाध्यापक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

(ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित्त समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, का अन्तर प्रमण्डलीय स्थानान्तरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे। अन्तर प्रमण्डलीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानान्तरित प्रमण्डल में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित प्रधानाध्यापक की वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

15. **अनुशासनिक कार्रवाई** :– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक पर प्रभावी होगा।

16. **सेवा संबंधी शर्त्तें** :–

(i) प्रधानाध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जो समय–समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(ii) प्रधानाध्यापक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(iii) राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवाशर्त्तें इनपर भी प्रभावी होंगे।

17. **<u>अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति</u>** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रधानाध्यापक के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हत्ताधारी आश्रित को संबंधित पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद अथवा विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के

विरूद्ध संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप, पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अन्तर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

18. **आचरण संहिता** :–

(i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढ़ंग से पूर्ण करना/कराना।

(ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।

(iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।

(iv) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

(v) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

(vi) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(vii) प्रधानाध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

19. **शिकायत एवं अपील** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को होगी।

20. **प्रकीर्ण एवं व्यावृतिः–**

(i) यह नियमावली विभागीय संकल्प संख्या–1021 दिनांक–05.07.2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जो उक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए, पर ही प्रभावी माना जायेगा।

(ii) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

(iii) इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीयकृत (प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित) माध्यमिक

एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का संवर्ग यथावत् रहेगा। साथ ही, इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।

(iv) राजकीयकृत उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के वैसे पद, जो प्रोन्नति एवं सीधी नियुक्ति से भरे जाने के लिए चिन्हित थे, पर पूर्व से प्रवृत नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नति दी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–11/ नियमा–01–02/2020 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 11/ नियमा–01–02/2020 ..... पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 11/ नियमा–01–02/2020 1338 पटना, दिनांक 18/08/2021

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/8/2021
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।